प्रेषिका,

शालिनी सिंह
सिविल जज (अवर खण्ड),/
त्वरित न्यायालय
न्याय.कक्ष संख्या–03,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

आदरणीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय ज़िला न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

विषयः **शासनादेश संख्या 1705/दो–4–2011–45(12)91/टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 03.01.2012 एवं शासनादेश संख्या 1363/दो–4–2009–45(12)/91 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 13.05.2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरे चयन के समय विधि स्नातकोत्तर (LL.M) उपाधि धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मँहगाई भत्ता नियुक्ति की तिथि 16.11.2019 से प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में.**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया ने दिनांक 16.12.2019 को सिविल जज (अवर खण्ड)/ त्वरित न्यायालय, न्यायालय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्रहण किया है। प्रार्थीया उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयन के समय विधि स्नातकोत्तर होने के कारण पदभार ग्रहण करने की दिनांक 16.11.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धिमय मँहगाई भत्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के आवेदनपत्र में भी वर्णित किया है।

अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थीया को पदभार ग्रहण करने की दिनांक 16.12.2019 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मँहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए प्रार्थीया का उक्त प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया

Shalini Singh 04/11/2020

दिनांक 04.01.2020

(शालिनी सिंह),
अपर सिविल जज (अवर खण्ड),/
त्वरित न्यायालय,
न्याय.कक्ष संख्या–03,
बुलन्दशहर।

संलग्न–
01. विधि स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति
02. विधि स्नातकोत्तर उपाधि की छायाप्रति